22 March 2025: PCS Kindle (हिन्दी)

1. औरंगजेब का मकबरा

संदर्भ: महाराष्ट्र के खुल्दाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब का मकबरा वर्तमान में जांच के दायरे में है। हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों ने नागपुर में हिंसक झड़पों को जन्म दिया है। विरोध प्रदर्शनों में औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग की गई है, जो ऐतिहासिक शिकायतों का प्रतीक रहा है। जवाब में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मकबरे को बर्बरता से बचाने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसके चारों ओर टिन की चादरें लगा दी हैं।

- औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 में अपनी मृत्यु तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। (लगभग 50 साल, जिससे वह सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट बन गया।)

- उनके शासनकाल में सैन्य और प्रशासनिक चुनौतियाँ रहीं। उन्हें कृषि संकट और मराठों के बढ़ते प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उनके अंतिम वर्ष दक्कन में बीते, जहाँ मराठों के खिलाफ अभियान के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
- **औरंगजेब के मकबरे का महत्व:**
    - पिछले मुगल शासकों (जैसे, अकबर, शाहजहाँ) की भव्य कब्रों के विपरीत, उनकी कब्र सादी और अलंकृत नहीं है।
    - औरंगजेब ने इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार एक साधारण दफ़न का विकल्प चुना। उनकी कब्र शेख ज़ैनुद्दीन की दरगाह के बगल में स्थित है, जो एक श्रद्धेय सूफी संत थे। यह विकल्प धर्म के साथ उनके जटिल संबंधों को दर्शाता है। हालाँकि वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने सूफी परंपराओं का सम्मान किया, जैसा कि उनके दफ़न स्थल से पता चलता है।
    - उनकी कब्र की सादगी बाबर की कब्र (जिन्होंने भी एक साधारण दफ़न को प्राथमिकता दी थी) के समान है।

2. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

संदर्भ: हाल ही में, तेलंगाना ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM) में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य गांवों के 300 क्लस्टर विकसित करना है। यह ग्रामीण सामुदायिक जीवन को बनाए रखते हुए ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटने का प्रयास करता है।

- SPMRM का लक्ष्य शहरी जैसी सुविधाएँ प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। इसमें 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। मिशन ऐसे क्लस्टर बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और जीवन स्तर को बेहतर बनाते हैं।

वित्त पोषण तंत्र:

- मिशन के लिए वित्त पोषण मुख्य रूप से विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कुल निवेश का कम से कम 70% इन योजनाओं से आता है।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय क्रिटिकल गैप फंडिंग (CGF) भी प्रदान करता है, जो निवेश का 30% तक कवर करता है। गैर-आदिवासी क्लस्टरों के लिए अधिकतम आवंटन ₹30 करोड़ और आदिवासी क्लस्टरों के लिए ₹15 करोड़ है।

क्लस्टर की विशेषताएँ:

- एक 'रूर्बन क्लस्टर' में भौगोलिक रूप से जुड़े गाँव शामिल होते हैं। क्लस्टर की आबादी मैदानी इलाकों में 25,000 से 50,000 और पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक होती है।
- इन्हें बड़े गाँवों या ब्लॉक मुख्यालयों जैसे विकास केंद्रों के इर्द-गिर्द डिज़ाइन किया गया है, जिससे आर्थिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है।

विकास पर ध्यान:

- SPMRM का उद्देश्य कृषि, पर्यटन, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। आवश्यक सेवाओं में कौशल विकास, स्वास्थ्य सुविधाएँ, उन्नत स्कूल, स्वच्छता, पाइप से जलापूर्ति और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं।
- **डिजिटल नागरिक सेवा केंद्र** भी इस पहल का हिस्सा हैं।

3. APAAR ID कार्यान्वयन

संदर्भ: स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (APAAR) ID भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का एक पहलू है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में छात्र डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। स्वैच्छिक के रूप में चित्रित किए जाने के बावजूद, APAAR प्रणाली को अपनाने के लिए अभिभावकों और स्कूलों पर दबाव बढ़ रहा है।

- इसे छात्रों के लिए एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस ID का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच निर्बाध संक्रमण को सुविधाजनक बनाना है।
- यह आधार प्रणाली से जुड़ा हुआ है और डिजिलॉकर में संग्रहीत है। APAAR ID मानकीकृत शैक्षणिक रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करता है।

APAAR ID का उद्देश्य:

- APAAR ID का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों को एकत्रित करना और संग्रहीत करना है।
- यह शैक्षणिक प्रतिलेखों के आसान सत्यापन और प्रसंस्करण की अनुमति देता है। यह प्रणाली "एक राष्ट्र, एक छात्र ID" की अवधारणा को बढ़ावा देती है।
- यह बेहतर नीति निर्माण के लिए शैक्षिक डेटा संग्रह में सुधार के NEP के लक्ष्यों के अनुरूप है।

क्या APAAR अनिवार्य है?

- APAAR को आधिकारिक तौर पर स्वैच्छिक बताया गया है। हालाँकि, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और राज्य प्राधिकरणों के विभिन्न परिपत्रों में इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
- माता-पिता को अक्सर इसकी स्वैच्छिक प्रकृति के बारे में अस्पष्ट जानकारी मिलती है।
- इससे माता-पिता के बीच अपने बच्चों को नामांकित करने की आवश्यकता के बारे में भ्रम और चिंता पैदा हुई है।

डेटा सुरक्षा चिंताएँ:

- डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में चिंताएँ हैं। आलोचकों का तर्क है कि कानूनी समर्थन के बिना नाबालिगों के डेटा का बड़े पैमाने पर संग्रह असंवैधानिक है।
- इंटरनेट फ़्रीडम फ़ाउंडेशन (IFF) ने डेटा के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई है। वे बताते हैं कि मौजूदा डेटा सुरक्षा कानून बच्चों की ट्रैकिंग और निगरानी को प्रतिबंधित करते हैं।

APAAR ID कैसे बनाई जाती है?

- APAAR ID बनाने में कई चरण शामिल हैं। स्कूल छात्रों के जनसांख्यिकीय विवरण जैसे नाम और जन्म तिथि को सत्यापित करते हैं। माता-पिता को एक सहमति फ़ॉर्म भरना होगा। सत्यापन के बाद, APAAR ID बनाई जाती है। यदि दिए गए नामों या विवरणों में विसंगतियां हैं, तो समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

APAAR से बाहर निकलना:

- माता-पिता के पास अपने बच्चों के लिए APAAR ID बनाने से बाहर निकलने का विकल्प है। वे अपना निर्णय व्यक्त करते हुए स्कूलों को लिख सकते हैं।
- डिजिटल अधिकार अधिवक्ताओं ने इस प्रक्रिया में माता-पिता की सहायता के लिए टेम्पलेट प्रदान किए हैं। बाहर निकलने के विकल्प के बावजूद, स्थानीय दबाव इस विकल्प को जटिल बना सकते हैं।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:

- APAAR के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं। कई माता-पिता कार्यक्रम के संबंध में अपने अधिकारों से अनजान हैं।
- इसके अतिरिक्त, कुछ राज्यों ने APAAR पंजीकरण का अनुपालन नहीं करने वाले स्कूलों के लिए परिणाम भुगतने की धमकी दी है।

4. 2030 वैश्विक वन विजन रिपोर्ट

संदर्भ: 2025 में सरकारों के लिए प्राथमिकता वाली कार्रवाइयाँ विश्व वन दिवस से पहले वन घोषणा मूल्यांकन द्वारा 19 मार्च, 2025 को प्रकाशित की गईं। रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जलवायु भूमि उपयोग गठबंधन और अन्य भागीदारों द्वारा समर्थित किया गया था।

वनों की कटाई के आँकड़े:

- 2023 में, वनों की कटाई चौंका देने वाले 6.37 मिलियन हेक्टेयर तक पहुँच गई। यह नौ मिलियन फ़ुटबॉल मैदानों के बराबर है।
- अमेज़न, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ़्रीका सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। मवेशी पालन अमेज़न में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है, जो 80% वनों की हानि के लिए ज़िम्मेदार है।

वनों की कटाई के मुख्य कारण:

- प्राथमिक कारणों में पाम ऑयल, सोया और बीफ़ के लिए कृषि विस्तार शामिल है। इंडोनेशिया और मलेशिया में, पाम ऑयल उत्पादन से ऑरंगुटान और सुमात्रा बाघ जैसी प्रजातियों को ख़तरा है।
- 2017 और 2022 के बीच, बीफ़ की मांग को पूरा करने के लिए अमेज़न में 800 मिलियन से ज़्यादा पेड़ काटे गए।

व्यापार नीतियाँ और वनों की कटाई:

- 2030 ग्लोबल फ़ॉरेस्ट विज़न रिपोर्ट में मज़बूत व्यापार नीतियों की माँग की गई है। इसमें वनों की कटाई से जुड़े उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश की गई है।

- यूरोपीय संघ ने वनों की कटाई से संबंधित विनियमन लागू किया है, जिसके तहत यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि उत्पाद साफ किए गए जंगलों से नहीं आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका भी अवैध कटाई पर नियमों को सख्त कर रहा है।

प्रवर्तन में चुनौतियाँ:

- इन विनियमों के बावजूद, प्रवर्तन एक चुनौती बना हुआ है। उत्पादक देशों में छोटे किसानों के पास अक्सर अपने उत्पादों को वनों की कटाई से मुक्त प्रमाणित करने की तकनीक नहीं होती है।
- ब्राजील और इंडोनेशिया जैसे देशों को डर है कि सख्त नियम उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि कृषि आय का प्राथमिक स्रोत है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन:

- रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की वकालत की गई है। इसमें चीन और भारत जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में वनों की कटाई से मुक्त व्यापार कानूनों का विस्तार करने का सुझाव दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, इसमें उत्पादक देशों के किसानों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता की माँग की गई है। वनों की कटाई से जुड़े उत्पादों पर नज़र रखने के लिए बेहतर वैश्विक निगरानी प्रणाली भी आवश्यक है।

भविष्य का दृष्टिकोण:

- यदि सरकारें तेज़ी से कार्रवाई नहीं करती हैं, तो जैव विविधता का नुकसान तेज़ी से होगा। इससे वैश्विक जलवायु और प्रकृति लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयासों में बाधा आएगी।
- ब्राजील में आगामी COP30 इन मुद्दों और संभावित समाधानों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण मंच होगा।

5. दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी पेंगुइन का संरक्षण

संदर्भ: अफ्रीकी पेंगुइन, दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाने वाली एक अनोखी प्रजाति है, जिसकी जनसंख्या में खतरनाक गिरावट आ रही है। दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में की गई कानूनी कार्रवाइयों ने इन पेंगुइन और उनके प्रजनन स्थलों की सुरक्षा के लिए उपाय शुरू किए हैं। 18 मार्च, 2025 को एक ऐतिहासिक अदालती फैसले ने छह महत्वपूर्ण प्रजनन कॉलोनियों के आसपास वाणिज्यिक मछली पकड़ने पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया। इस निर्णय का उद्देश्य उनके भोजन की आपूर्ति के लिए गंभीर खतरों को संबोधित करना है, विशेष रूप से सार्डिन और एंकोवी मछली पकड़ने से।

जनसंख्या में गिरावट और खतरे:

- 1980 के दशक से अफ्रीकी पेंगुइन की आबादी में 60% से अधिक की कमी आई है।
- इस गिरावट में योगदान देने वाले कारकों में अत्यधिक मछली पकड़ना, तेल प्रदूषण और शिकार शामिल हैं।
- 1950 के दशक के अंत में प्रजनन जोड़ों की संख्या 140,000 से घटकर 2009 तक 25,000 से कुछ ज़्यादा रह गई।
- संरक्षणवादियों ने चेतावनी दी है कि हस्तक्षेप के बिना, ये पेंगुइन 2035 तक जंगल में विलुप्त हो सकते हैं।

हाल ही में किए गए कानूनी उपाय:

- दक्षिण अफ्रीका के उच्च न्यायालय के फ़ैसले ने रॉबेन द्वीप और बर्ड आइलैंड पर प्रजनन कॉलोनियों के 20 किलोमीटर के दायरे में वाणिज्यिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अन्य कॉलोनियों पर ज़्यादा कड़े प्रतिबंध लागू हैं। यह फ़ैसला बर्डलाइफ़ साउथ अफ्रीका और SANCCOB सहित संरक्षण संगठनों द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई का जवाब है। इसका उद्देश्य अफ्रीकी पेंगुइन और अन्य समुद्री प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करना है।

प्रजनन और घोंसला बनाने की आदतें:

- अफ़्रीकी पेंगुइन साल भर प्रजनन करते हैं, दक्षिण अफ़्रीका में मार्च और मई के बीच चरम अवधि होती है। वे आम तौर पर एक-विवाही जोड़े बनाते हैं, जिनमें से 80-90% प्रजनन के मौसम में एक साथ रहते हैं। मादा दो अंडे देती है, जिसे माता-पिता दोनों 38-40 दिनों तक सेते हैं। अंडे सेने के बाद, माता-पिता बारी-बारी से भोजन और रखवाली का काम करते हैं, जब तक कि चूजे बड़े होकर संरक्षण के लिए पालने में जाने लायक नहीं हो जाते।

शारीरिक विशेषताएँ:

- अफ्रीकी पेंगुइन अपने सम्राट समकक्षों से छोटे होते हैं। उनकी लंबाई 60-68 सेमी होती है और उनका वजन 3.7-4 किलोग्राम के बीच होता है। उनके विशिष्ट काले और सफेद पंखों में छाती के पार एक काली पट्टी शामिल होती है। किशोरों के पंख भूरे रंग के होते हैं, जबकि वयस्कों की आँखों के चारों ओर पंखहीन त्वचा का एक विशिष्ट घेरा होता है।

भोजन और शिकार:

- अफ्रीकी पेंगुइन के आहार में मुख्य रूप से स्क्विड, सार्डिन और एंकोवी शामिल हैं। उन्हें तेंदुए, जंगली बिल्लियों और केल्प गल जैसे पक्षियों सहित विभिन्न शिकारियों से खतरा रहता है। समुद्र में, सील और शार्क भी उनका शिकार करते हैं। यह जटिल खाद्य जाल संरक्षण प्रयासों में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन के महत्व को दर्शाता है।

संरक्षण स्थिति:

- 2010 से IUCN द्वारा अफ्रीकी पेंगुइन को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हाल ही में न्यायालय का फैसला उनकी जनसंख्या में गिरावट को रोकने की दिशा में एक कदम है। इससे न केवल पेंगुइन को लाभ होगा, बल्कि अन्य समुद्री शिकारियों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों की स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा।

6. आईबीसी से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए 4-सूत्री कार्य योजना

संदर्भ: भारत में दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की जांच की गई है और सुधार के लिए सिफारिशें की गई हैं। वित्त पर संसदीय स्थायी समिति की एक हालिया रिपोर्ट ने आईबीसी की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले लगातार मुद्दों को प्रकाश में लाया है। समिति ने संकटग्रस्त कॉर्पोरेट परिसंपत्तियों के लिए समाधान प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया।

आईबीसी प्रक्रिया में वर्तमान चुनौतियाँ:

- प्रमुख मुद्दों में हितों का टकराव, पारदर्शिता की कमी और समाधान में देरी शामिल हैं।
- समाधान पेशेवरों की निगरानी के लिए ढांचा कमजोर है।
- इसके अतिरिक्त, परिचालन लेनदारों का लेनदारों की समिति (सीओसी) में सीमित प्रतिनिधित्व है। ये चुनौतियाँ दिवालियापन मामलों को कुशलतापूर्वक हल करने की आईबीसी की क्षमता में बाधा डालती हैं।

चार-सूत्री कार्य योजना: पहचानी गई चुनौतियों का समाधान करने के लिए, संसदीय पैनल ने चार-सूत्री कार्य योजना की सिफारिश की:

1. **प्रत्यक्ष प्रस्तुति प्रणाली:** समाधान योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया में गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है, जिससे अनुचित लाभ को रोका जा सके।
2. **समाधान पेशेवरों की भूमिका बढ़ाना:** समिति ने समाधान पेशेवरों (RP) के लिए पेशेवर मानकों को मजबूत करने का सुझाव दिया। इसमें जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कठोर प्रमाणन, विशेष प्रशिक्षण और स्वतंत्र प्रदर्शन समीक्षा शामिल है।
3. **समयसीमा की पारदर्शी निगरानी:** दिवालियापन मामलों की अवधि को ट्रैक करने के लिए एक संरचित तंत्र की आवश्यकता है। सारणीबद्ध प्रणाली को लागू करने से देरी और प्रसंस्करण अक्षमताओं की निगरानी करने में मदद मिलेगी, जिससे नीति निर्माताओं को सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
4. **लेनदारों की समिति की संरचना की समीक्षा**: परिचालन लेनदारों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सीओसी की संरचना पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। यह परिचालन लेनदारों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए एक अधिक न्यायसंगत समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा।

महत्व:

• सिफारिशों का उद्देश्य IBC की अखंडता और दक्षता को बढ़ावा देना है। प्रस्तुतिकरणों में गोपनीयता सुनिश्चित करने और RP की भूमिका को बढ़ाने से, समाधान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बन सकती है।

• समयसीमा की निगरानी से देरी को दूर करने में मदद मिलेगी। सीओसी संरचना पर पुनर्विचार करने से परिचालन ऋणदाताओं को सशक्त बनाया जा सकेगा, जिससे बेहतर परिणाम सामने आएंगे।

7. वन वित्त में अंतराल

संदर्भ: "वन वित्त में परिवर्तन" शीर्षक वाली एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि मौजूदा वित्तपोषण तंत्र अपर्याप्त हैं और अक्सर प्रतिकूल होते हैं। यह वन संरक्षण के लिए आवश्यक और वास्तविक वित्तीय सहायता के बीच एक खतरनाक अंतर को उजागर करता है। यह निष्कर्ष 21 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस से ठीक पहले आए हैं।

वर्तमान वित्तीय परिदृश्य:

- रिपोर्ट का अनुमान है कि वनों की कटाई को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सालाना लगभग 460 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। हालाँकि, वास्तविक वित्तीय सहायता कम है।
- वन संरक्षण के लिए आवंटित प्रत्येक डॉलर के लिए, छह डॉलर वनों की कटाई को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर खर्च किए जाते हैं, जैसे कि औद्योगिक कृषि और लॉगिंग।
- 2023 में, निजी वित्तीय संस्थानों ने वनों की कटाई से जुड़े क्षेत्रों में $6.1 ट्रिलियन का निवेश किया, जबकि सरकारों ने हानिकारक सब्सिडी में $500 बिलियन प्रदान किए।

ऋण बोझ:

- विकासशील देश भारी ऋण बोझ से जूझ रहे हैं, जो कुल मिलाकर $11 ट्रिलियन है।
- यह वित्तीय दबाव अक्सर इन देशों को अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए अपने वनों का दोहन करने के लिए मजबूर करता है।
- विशेषज्ञों का तर्क है कि वर्तमान वित्तीय प्रणाली स्थायी प्रथाओं पर तत्काल लाभ को प्राथमिकता देती है, जिसके लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

REDD+ कार्यक्रम:

- REDD+ कार्यक्रम, जो देशों को वनों की कटाई को कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, को इसके अपर्याप्त भुगतानों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है।
- वर्तमान मुआवज़ा दरें कार्बन के प्रति टन $5 से $10 तक हैं, जबकि उत्सर्जन में कमी की वास्तविक लागत $30 से $50 प्रति टन के बीच होने का अनुमान है।
- यह विसंगति वन-समृद्ध देशों को संरक्षण प्रयासों को प्राथमिकता देने से हतोत्साहित करती है।

सफल वित्तपोषण मॉडल के उदाहरण

- चुनौतियों के बावजूद, रिपोर्ट सफल वित्तपोषण मॉडल की पहचान करती है जो प्रभावी संरक्षण परिणामों को प्रदर्शित करते हैं।
- मेसोअमेरिकन टेरिटोरियल फंड और पोडाली फंड जैसी पहलों से पता चलता है कि स्वदेशी समुदायों को सीधे वित्तपोषण से बेहतर वन प्रबंधन और संरक्षण होता है।

सिफारिशें:

- रिपोर्ट में वन वित्त संकट को दूर करने के लिए छह प्रमुख कार्रवाइयों की रूपरेखा दी गई है।
- **सबसे पहले**, इसमें संरक्षण प्रयासों के लिए धन बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और बहुपक्षीय वित्त में सुधार की बात कही गई है।
- **दूसरा,** इसमें विकासशील देशों पर वित्तीय दबाव कम करने के लिए संप्रभु ऋण प्रणालियों में सुधार की सिफारिश की गई है।
- **तीसरा**, सरकारों को हानिकारक सब्सिडी को स्थायी विकल्पों की ओर पुनर्निर्देशित करना चाहिए।
- **चौथा**, स्थानीय और स्वदेशी समुदायों को प्रत्यक्ष वित्त पोषण बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **पांचवां**, बैंकों द्वारा वनों की कटाई के जोखिमों को ध्यान में रखना सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय विनियमन को मजबूत करना आवश्यक है।
- अंत में, रिपोर्ट संरक्षण के लिए स्थिर वित्त पोषण प्रदान करने के लिए प्रस्तावित ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी जैसे अभिनव वित्तपोषण मॉडल की वकालत करती है।

वैश्विक जलवायु नीति के लिए निहितार्थ:

- जैसे-जैसे पार्टियों का 30वां सम्मेलन (COP30) करीब आ रहा है, ये निष्कर्ष वन वित्त और स्थिरता पर वैश्विक चर्चाओं को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं।
- वनों की सुरक्षा के लिए तत्काल वित्तीय सुधार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वन जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध महत्वपूर्ण प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं।

8. ध्वनिक हथियार

संदर्भ: ध्वनिक हथियार भीड़ नियंत्रण में विवादास्पद उपकरण के रूप में उभरे हैं। सर्बिया में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों ने उनके संभावित उपयोग को प्रकाश में लाया है। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रतिबंधित ध्वनिक हथियार का उपयोग करने के आरोपों से इनकार किया। इससे ऐसे उपकरणों की वैधता और नैतिकता पर सवाल उठते हैं। ध्वनिक हथियार भीड़ को तितर-बितर करने के लिए डिज़ाइन की गई तेज़ आवाज़ें पैदा कर सकते हैं। वे 1990 के दशक की शुरुआत से ही उपयोग में हैं, और 2000 के दशक में सैन्य अनुप्रयोग प्रमुख हो गए।

परिभाषा और कार्यक्षमता:

- ध्वनिक हथियार, जिन्हें ध्वनिक हथियार भी कहा जाता है, लंबी दूरी तक तेज़ आवाज़ें निकालते हैं। वे श्रव्य और अश्रव्य दोनों तरह की ध्वनि तरंगें पैदा कर सकते हैं। ये उपकरण ध्वनि संदेश या अन्य ध्वनियाँ देने में सक्षम हैं। भीड़ नियंत्रण और सैन्य अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अपनी शुरुआत से ही तकनीक विकसित हुई है। ध्वनिक हथियारों के प्रकार: ध्वनिक हथियारों के तीन मुख्य प्रकार हैं:
- लंबी दूरी की ध्वनिक डिवाइस (LRAD): जेनेसिस इंक द्वारा विकसित, LRAD 8,900 मीटर से अधिक की दूरी तक ध्वनि को स्पष्ट रूप से प्रक्षेपित कर सकता है। यह 160 डेसिबल के ध्वनि स्तर तक पहुँच सकता है, जिससे दर्द और संभावित श्रवण क्षति हो सकती है।

मच्छर: यह डिवाइस उच्च-पिच वाली ध्वनियाँ उत्सर्जित करती है जो युवा व्यक्तियों, आम तौर पर किशोरों और बीस के दशक के लोगों के लिए दर्दनाक होती हैं। प्राकृतिक श्रवण हानि के कारण यह वृद्ध वयस्कों के लिए अप्रभावी है।

- इन्फ्रासोनिक हथियार: एक नई तकनीक जो कम आवृत्ति वाली ध्वनियाँ उत्पन्न करती है। ये ध्वनियाँ आम तौर पर अश्रव्य होती हैं लेकिन भटकाव और दर्द पैदा कर सकती हैं। एक हथियार के रूप में इसकी प्रभावशीलता के बारे में अनुसंधान जारी है।

ध्वनिक हथियारों के स्वास्थ्य प्रभाव:

- ध्वनिक हथियार गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं। वे कान के परदे को नुकसान पहुँचा सकते हैं और सुनने की क्षमता को नुकसान पहुँचा सकते हैं। लंबे समय तक संपर्क में रहने से टिनिटस, सिरदर्द और मतली हो सकती है। इन प्रभावों की गंभीरता स्रोत से दूरी और जोखिम की अवधि पर निर्भर करती है। मानवाधिकार संगठन इन हथियारों की अंधाधुंध प्रकृति पर चिंता व्यक्त करते हैं। वे न केवल लक्षित व्यक्तियों को बल्कि राहगीरों और कानून प्रवर्तन कर्मियों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं।

नैतिकता:

- ध्वनि हथियारों का उपयोग कानूनी और नैतिक प्रश्न उठाता है। कई न्यायालयों में, उनका उपयोग प्रतिबंधित या प्रतिबंधित है। निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान पहुँचाने की क्षमता भीड़ नियंत्रण स्थितियों में उनके उपयोग को जटिल बनाती है। आलोचकों का तर्क है कि ध्वनि हथियार मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, खासकर विरोध प्रदर्शनों के दौरान।

सैन्य अनुप्रयोग:

- ध्वनि हथियारों को सैन्य बलों द्वारा अपनाया गया है, विशेष रूप से इराक जैसे संघर्ष क्षेत्रों में। घातक बल के बिना भीड़ को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता आकर्षक है।
- हालाँकि, उनके उपयोग के परिणाम बहस का विषय बने हुए हैं। ध्वनि हथियारों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव अच्छी तरह से प्रलेखित नहीं हैं।

9. कुत्ते के चेहरे वाला पानी का साँप

संदर्भ: हाल ही में, कुत्ते के चेहरे वाला पानी का साँप, जिसे वैज्ञानिक रूप से सेर्बेरस रिनकॉप्स के रूप में जाना जाता है, असम के नलबाड़ी जिले में पहली बार देखा गया था। यह दृश्य इसलिए है क्योंकि यह बांग्लादेश में अपने ज्ञात तटीय आवासों से लगभग 800 किमी दूर स्थित है। अंतर्देशीय क्षेत्रों में इस प्रजाति की उपस्थिति इसकी अनुकूलन क्षमता और आंदोलन पैटर्न के बारे में सवाल उठाती है।

- कुत्ते के चेहरे वाला पानी का साँप एक पीछे की ओर नुकीले, हल्के विषैले, अर्ध-जलीय साँप है।
- यह मुख्य रूप से खारे पानी में रहता है और अपनी अनूठी शिकार रणनीति के लिए जाना जाता है।

- यह साँप उथले पानी में बैठकर इंतजार करने के तरीके का उपयोग करके मछलियों और क्रस्टेशियंस का शिकार करता है।
- आमतौर पर, यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में मैंग्रोव, मडफ़्लैट्स और मुहाना सहित तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों में पाया जाता है।
- असम में कुत्ते के चेहरे वाले पानी के साँप का देखा जाना अभूतपूर्व है। यह प्रजाति की निवास वरीयताओं की समझ को चुनौती देता है। यह खोज प्रजातियों के फैलाव तंत्र और पारिस्थितिक अनुकूलनशीलता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकती है।

10. सेंसरशिप को लेकर X ने भारत सरकार के खिलाफ़ मुकदमा दायर किया

संदर्भ: हाल ही में, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X, जिसे पहले Twitter के नाम से जाना जाता था, ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में भारत सरकार के खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही शुरू की है। मुकदमा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम की धारा 79(3)(b) की सरकार की व्याख्या को चुनौती देता है। X का तर्क है कि सरकार की सामग्री विनियमन प्रथाएँ गैरकानूनी हैं और ऑनलाइन मुक्त भाषण का उल्लंघन करती हैं।

विवाद की पृष्ठभूमि:

- विवाद तब शुरू हुआ जब X ने भारत सरकार के 'सहयोग' पोर्टल में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और कानून प्रवर्तन के बीच सहयोग के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- X के CEO एलन मस्क ने तर्क दिया कि प्लेटफ़ॉर्म के पास साइबर अपराध के बारे में जानकारी साझा करने के लिए अपनी प्रणाली है।
- X एकमात्र प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म है जिसने सहयोग पहल का अनुपालन नहीं किया है, जिसे 38 अन्य कंपनियों ने अपनाया है।

सहयोग पोर्टल:

- गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सहयोग पोर्टल का उद्देश्य सरकारी एजेंसियों और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के बीच संचार को सुविधाजनक बनाकर ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाना है।
- यह गैरकानूनी समझी जाने वाली सामग्री को हटाने के लिए आईटी अधिनियम के तहत बिचौलियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को स्वचालित करता है।
- इस पहल ने पारदर्शिता और मनमाने ढंग से सेंसरशिप की संभावना के बारे में चिंताएँ पैदा की हैं।